



जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, दुमका

(ISO 9001:2015 Certified)

—: अल्पकालीन निविदा :-

विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के पत्रांक 269 दिनांक- 24.02.2021 एवं निदेशक-सह-संयुक्त सचिव का पत्रांक- 467 दिनांक- 24.03.2021 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा अन्तर्गत विरसा हरित ग्राम योजना के तहत दुमका जिला के सभी प्रखण्डों के लिए खाद सामग्रियों का क्रय किया जाना है। सामग्री की सूची निम्नवत् है:-

- 1- केंचुआ खाद (in kg)
- 2- गोबर खाद या FYM (in kg)
- 3- नीम/करंज खल्ली (in kg)
- 4- Bone meals/SSP (in kg)
- 5- Dolomite (in kg)
- 6- Trichoderma Viridi 1.5% WW (in kg)
- 7- Chlorothalonil 75% WP (in kg)
- 8- Copper Oxychloride (Blue Copper or equivalent) (in kg)
- 9- Fipronil 0.3 GR (in kg)
- 10- Azadirachtin 3000 PPM (in litre)
- 11- Lambda-Cyhalothrin 5%EC (in litre)
- 12- Bifenthrin 2.5% EC/Biflex TC (in litre)
- 13- Toto care/Agromin (in litre)
- 14- Urea (in kg)
- 15- NPK 10:26:26 (सुफला या समतुल्य) (in kg)
- 16- SSP (in kg)
- 17- MOP (पोटाश) (in kg)
- 18- Polythene for Jalkund (18ft X 14ft) 250 Micron UV resister

वांछित तकनीकी अर्हता प्राप्त फार्म/आपूर्तिकर्ता वित्तीय दर निर्धारण हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं से मुहरबंद अल्पकालीन निविदा निम्नांकित शर्तों पर आमंत्रित की जाती है।

निविदा डालने हेतु शर्त :-

1. निविदादाता का फर्म काली सूची में दर्ज (Black Listed) नहीं है, संबंधी शपथ-पत्र मूल में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. अद्यतन वाणिज्यकर, Clearance Certificate एवं पिछले तीन वर्षों का आयकर रिटर्न की छायाप्रति एवं कार्य अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. GST का निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निविदादाता को अग्रधन के रूप में 10000.00 (दस हजार) रुपये का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का Bank Draft उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, दुमका के नाम से जमा करना होगा।
5. यह निविदा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ही मान्य होगा।
6. निविदादाता को निविदा में सभी कर आदि सम्मिलित करते हुए शुद्ध दर (Net Price) अंकित करना होगा।
7. इस संबंध में तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड अलग-अलग बन्द लिफाफा में देना अनिवार्य होगा। क्रय समिति द्वारा तकनीकी बीड मान्य होने के पश्चात् वित्तीय बीड खोला जायेगा।
8. निविदा दिनांक 02.06.2021 को अपराहन 01:00 बजे तक उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, दुमका द्वारा प्राप्त किया जाएगा। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद निविदा स्वीकार्य नहीं होगा एवं निविदा दिनांक 02.06.2021 के अपराहन 03:00 बजे सक्षम क्रय समिति के समक्ष में निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि के उपस्थिति में खोली जाएगी। लिफाफे पर साफ-साफ शब्दों में Plantation of MGNREGA अंकित कर जमा करना होगा।

9. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा आपूर्ति आदेश के आलोक में सामग्री की आपूर्ति किया जायेगा।
10. समिति द्वारा चयनित आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति आदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर सामग्रियों की आपूर्ति प्रखण्ड स्थित संबंधित ग्राम पंचायत के योजना स्थल पर करना अनिवार्य होगा, जिसके लिए अन्य कोई दुलाई अथवा भत्ता देय नहीं होगा। आपूर्तिकर्ता पक्की रसीद के साथ संबंधित लाभुकों से एक संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त कर पंचायत में जमा करेगा।
11. आपूर्तिकर्ता Product किस Company का देंगे यह भी बीड में उल्लेख करना अनिवार्य होगा, जो आपूर्तिकर्ता Product के Company का नाम नहीं लिखेंगे उनका Quotation रद्द कर दिया जायेगा। उक्त से संबंधित Company का सामग्री का नमूना निविदा तिथि को लाना अनिवार्य होगा।
12. निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता यदि समय-सीमा के अन्दर सामग्री की आपूर्ति नहीं करते हैं अथवा आपूर्ति में गड़बड़ी करते हैं तो निविदा रद्द करते हुए जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी तथा अन्य आपूर्तिकर्ता से सामग्री आपूर्ति करायी जायेगी। सामग्री की गुणवत्ता खराब होने पर जाँच प्रतिवेदन के आलोक में कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
13. आपूर्तिकर्ता के कार्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होंगे एवं ऐसे स्थिति में भुगतान देय नहीं होगा।
14. निविदा की शर्तों में संशोधन करने एवं बिना कारण बताए निविदाओं को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी/विभाग के सक्षम पदाधिकारी के पास पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा।
15. क्रय समिति द्वारा निर्धारित दर अंतिम रूप से मान्य होगा।
16. समस्त प्रकार के कानूनी कार्यवाही का क्षेत्राधिकार दुमका जिला न्यायालय में होगा।
17. जिले में पंजीकृत ग्राम संगठन/ कृषक उत्पादक कम्पनी/समूह/कृषक-कॉ-आपरेटिव जिनके पास सामग्री है, उन्हें प्राथमिकता दिया जाएगा।

६०

उप विकास आयुक्त -सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
दुमका।

ज्ञापांक 768 / जि०ग्रा०वि०अभि०, दुमका

दिनांक 20/05/2021

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से ससमय प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि दुमका जिला के वेबसाईट WWW.dumka.nic.in पर उक्त निविदा की विवरणी अपलोड करना सुनिश्चित करें।

उप विकास आयुक्त -सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
दुमका।